राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 916/2016/चित्तौड़गढ़.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, चित्तौड़गढ़. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स आदित्य सीमेंट वर्क्स, शम्भुपुरा, चित्तौड़गढ़. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 16/04/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 08/वेट/15–16/चित्तौड़गढ़ में पारित किये गये आदेश दिनांक 14.9.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, विशेष वृत, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 26 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 01.05.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2007–08 के दौरान अपने निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले कुछ माल जैसे टायर एवं रबर की जो खरीद की गयी थी उस पर नियमित कर निर्धारण आदेश में आई.टी.सी. स्वीकार की गयी थी, उस आदेश को अधिनियम की धारा 26 के तहत रिओपन करते हुए प्रयुक्त माल को मशीनरी हेतु प्रयोग ना कर उसे केवल माईनिंग के कार्य हेतु प्रयोग में लिया जाना मानते हुए रूपये 42,555/– की आई.टी.सी. रिवर्स की गई एवं इसके विरूद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार कर यह निर्णय दिया गया कि जिन टायर की खरीद की गयी है वे उन वाहनों में उपयोग किये गये हैं, जो सीमेंट निर्माण कार्य के लिये माईन्स से फैक्ट्री तक माल का परिवहन करते हैं तथा रबर का उपयोग प्लांट एण्ड मशीनरी के लिये किया गया है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

लगातार.....2

4. उक्त प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किया गया आदेश पूर्णतया विधिसम्मत है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये आदेश में अविधिक रूप से टायर एवं रबर का उपयोग मशीनरी में नहीं होना माना गया था, जबकि यह दोनों वस्तुएं सीमेंट के निर्माण करने के दौरान प्रयुक्त होने वाली मशीनरी के लिये प्रयुक्त होने का जवाब दिया गया था, उसे खण्डित किये बिना ही एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है जो अविधिक होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा उसे अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने इस बिन्दु पर भी निर्णय दिये जाने का अनुरोध किया है कि प्रकरण में पूर्व में पारित नियमित कर निर्धारण आदेश को बिना कोई नोटिस तामील करवाये रिओपन किया गया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध नोटिस के अवलोकन से प्रमाणित होता है। इस बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली का परिशीलन करने पर यह पाया गया कि दिनांक 11.01.2013 एवं 02.12.2014 के लिये जो नोटिस जारी किये गये थे उनकी कोई तामील रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, बल्कि ऊपर केवलमात्र डाक से भेजा जाना बताया गया है, अतः इस बिन्दु पर भी यह टिप्पणी की जाती है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 5 वर्ष की समयावधि के भीतर बिना कोई नोटिस जारी किये 8 वर्ष में आदेश पारित किया जाना बताया है, इस आधार पर भी आदेश अपास्त योग्य पाया जाता है।

6. फलतः अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाकर, राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य